



Form No. -

बलरामपुर – रामानुजगंज (छोगो)

School Seal

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र विद्यार्थियों का प्रीप्राथमिक कक्षा  
में प्रवेश हेतु

आवेदन पत्र वर्ष 2025 – 26

संस्था का नाम :- डी० ए० व्ही० मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भवरमाल

विकासखण्ड :- रामचन्द्रपुर

जिला :- बलरामपुर – रामानुजगंज (छोगो)

कलर फोटो

बी० पी० एल० सर्वेसूची का क्रमांक व वर्ष :- .....

( पालक का बी०पी०एल० प्रमाण पत्र एवं सर्वेसूची का प्रमाणित प्रति संलग्न करें )

जाति एवं जाति वर्ग :- .....

(पालक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न करें )

कक्षा :- .....

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :- .....  
(अंग्रेजी में Capital Letter) :- .....

2. पिता का नाम :- .....

3. माता का नाम :- .....

4. आवेदक का प्रकार :- 1. विकलांगता (40% : से अधिक हॉ/नहीं) .....  
विकलांगता का प्रकार :- .....

2. एच०आई०व्ही० पीडित पालक (हॉ/नहीं) .....

5. पिता / पालक का व्यवसाय :- .....

6. परिवार का वार्षिक आय:- .....

7. आवेदक की जन्मतिथि (अंकों में) :- ..  
शब्दों में .....

8. पत्र व्यवहार का पता :- .....

.....

.....

.....

9. स्थायी निवास का पता :- .....

**Note :-** आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र (विद्यार्थी का) , जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र (पालक का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ), माता-पिता का आय हेतु समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन विद्यार्थी (40% से अधिक ) सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र , पालक के एच० आई० व्ही० पीडित का प्रमाण पत्रं (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करे।

### घोषणा पत्र

मैं ..... प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। यदि कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है, तो आवेदन निरस्त किये जाने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु जिलास्तरीय समिति का निर्णय मुझे मान्य होगा।

दिनांक : / / 2025

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पिता / पालक का हस्ताक्षर

दूरभाष / मो०नम्बर .....

## आर. टी. ई. / सरकारी कोटा में प्रवेश हेतु दस्तावेज

- 1 बी.पी.एल. प्रमाण पत्र एवं बी.पी.एल. सूची सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित
- 2 जन्म प्रमाण पत्र (विद्यार्थी का )
- 3 पिछली कक्षा की अंक सूची की छाया प्रति
- 4 जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त ),
- 5 माता—पिता का आय हेतु समक्ष अधिकारी का प्रमाण पत्र
- 6 दिव्यांगजन विद्यार्थी (40 % से अधिक ) सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र ,
- 7 पालक के एच0आई0व्ही0 पीडित का प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी )
- 8 अन्य आवश्यक दस्तावेज में आधारकार्ड (विद्यार्थी व माता—पिताका ) संलग्नकरे।

- नोट :**
- 1. सभी प्रकार के दस्तावेज स्वप्रमाणित अनिवार्य हैं ।**
  - 2. फॉर्म स्वप्रमाणित पुरे दस्तावेज के साथ दो प्रति में जमा होगा ।**
  - 3. संलग्न दस्तावेज क्रमबद्ध (1 से 8 तक) होना अनिवार्य है ।**

**घोषणा पत्र**  
**(RTE - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत)**

प्रति,

प्रधानाचार्य,  
DAV MUKHYAMANTRI PUBLIC SCHOOL,  
BHAWARMAL, RAMANUJGANJ

**विषय :** RTE के अंतर्गत प्रवेश हेतु घोषणा पत्र

मैं नीचे हस्ताक्षरकर्ता, अपने बच्चे/बच्ची के शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ तथा निम्नलिखित मापदंडों को पूर्ण करता/करती हूँ:

**1. निवास स्थान:**

मैं/हम रामचंद्रपुर प्रखंड में निवास करता/करती हूँ।

पता: \_\_\_\_\_ मो० न०- \_\_\_\_\_

**2. वार्षिक पारिवारिक आय:**

मेरी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,00,000 (या RTE नियमों के अनुसार) से कम है।

आय प्रमाण पत्र क्रमांक: \_\_\_\_\_ जारीकर्ता: \_\_\_\_\_

जारी करने की तिथि: \_\_\_\_\_

**3. आयु संबंधी मापदंड:**

मेरे बच्चे की आयु [01 April 2025] को \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ माह है, जो कक्षा - \_\_\_\_\_ में प्रवेश के लिए मान्य है।

**4. श्रेणी (Category):**

अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) -

अनाथ (हाँ / नहीं) - \_\_\_\_\_ एकल अभिभावक (हाँ / नहीं) - \_\_\_\_\_  
बीपीएल कार्ड संख्या - \_\_\_\_\_ वर्ष - \_\_\_\_\_

**5. अन्य पात्रता शर्तें:**

- छात्र/छात्रा के माता या पिता में से कोई भी किसी भी प्रकार के सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
- हमारे परिवार के पास कोई चार पहिया वाहन (Four Wheeler) नहीं है।
- हमारे पास 3 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है।
- हमारा निवास दो मंज़िला पक्का मकान नहीं है।

**घोषणा:**

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सही है। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि मैंने गलत जानकारी प्रदान की है, तो विद्यालय में मेरे बच्चे का प्रवेश रद्द किया जा सकता है, तथा मुझे प्रवेश के प्रारंभ से लेकर उस तिथि तक की संपूर्ण विद्यालय फीस जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त मेरे विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

अभिभावक का नाम एवं हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

सत्यापनकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर): \_\_\_\_\_

(ग्राम प्रधान / ग्राम मुखिया)

तिथि: \_\_\_\_\_